Ex.P-263

कथन – सुजीत कुमार श्रीवास

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09/2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	सुजीत कुमार श्रीवास पिता श्री आर.एन. श्रीवास
उम्र	–	34 वर्ष
पता	–	वार्ड कमांक–01, बंधवाटोला, पेन्ड्रारोड़ जिला बिलासपुर (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	8817903545, 99264–80798
व्यवसाय	–	कनिष्ठ तकनीकी सहायक, नागरिक आंपूर्ति निगम, रायगढ़ (छ0ग0)

––00––

मैं सुजीत कुमार श्रीवास पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पद पर नागरिक आपूर्ति निगम, रायगढ़ में फरवरी 2014 से पदस्थ हूं। इसके पूर्व इसी पद पर जशपुर में पदस्थ था। मेरा शासकीय मोबाईल नंबर 88179–03545 है तथा पर्सनल मोबाईल नंबर 99264–80798 है, यह मेरे नाम से ही है।

आज मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो कार्यालय में मेरे पर्सनल मोबाईल नंबर 99264–80798 से श्री **संदीप अग्रवाल** कंपनी सचिव, नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय रायपुर से उनके पर्सनल मोबाईल नंबर 94077–30210 पर हुई बात का कॉल ट्रान्सक्रिप्शन दिखाया गया एवं टेप की हुई आवाज को सुनाया गया। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ कर एवं रिकार्ड की हुई बातें सुनकर वार्तालाप के संबंध में बता रहा हूं कि :–

दिनांक 04.02.2015 के 17:49:59 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 04.02.2015 के 17:52:10 बजे का कॉल मेरे पर्सनल मोबाईल नंबर से श्री **संदीप अग्रवाल** से उनके पर्सनल मोबाईल नंबर पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मेरे द्वारा उन्हें बताया गया था कि इन्सपेक्शन के लिये असिस्टेंट डायरेक्टर फुड आये हुए है, गोदाम में जगह की कमी है। संदीप अग्रवाल ने मुझसे हमारे कार्यालय के अन्य कनिष्ठ तकनीकी सहायक क्षीरसागर पटेल का मोबाईल नंबर मांगा था, पटेल उस समय मेरे साथ ही था अतः मैंने पटेल की बात अपने मोबाईल से उनसे कराया था। पटेल के साथ हुई वार्तालाप में सदीप अग्रवाल द्वारा उसे बोला गया था कि वे 06.02.2015 को रायगढ़ आ रहे है, तुम्हारा जो भी होगा, दिसम्बर, जनवरी वाला और समयलाल का एक्सटेंशन 01 साल के लिये हो गया है तो उसको भी बोल देना 15–20 के लिये। इस वार्तालाप में श्री अग्रवाल द्वारा क्षीरसागर पटेल को दिसम्बर, जनवरी का कोई काम बचे होने और हमारे कार्यालय के एक अन्य कनिष्ठ तकनीकी सहायक, समयलाल साहू का 01 साल का एक्सटेंशन हो जाने से उसे मेरी समझ के अनुसार 15–20 हजार रूपये देने के लिये कहने बोला गया है।

दिनांक 07.02.2015 के 11:39:34 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 07.02.2015 के 11:41:38 बजे का कॉल मेरे पर्सनल मोबाईल नंबर से श्री **संदीप अग्रवाल** से उनके पर्सनल मोबाईल नंबर पर हुई वार्तालाप है। उक्त वार्तालाप में मेरे द्वारा श्री संदीप अग्रवाल जो उस दिन रायगढ़ आये हुए थे से पूछा था कि ऑफिस आयेंगे क्या? इसके बाद श्री अग्रवाल के कहने पर मैंने अपने मोबाईल से क्षीरसागर पटेल से उनकी बात कराया था। क्षीरसागर पटेल और श्री अग्रवाल के वार्तालाप का ट्रान्सक्रिप्शन एवं रिकार्डिंग के अनुसार श्री अग्रवाल ने पटेल को कोई काम करके सुबह 06-07 बजे एफ.सी.आई. ऑफिस के पास मिलने के लिये कहा गया था, क्योंकि वे सुबह रायपुर वापस जा रहे थे। श्री अग्रवाल ने पटेल से यह भी पूछा था कि वह धरम जयगढ़ की तरफ जा रहे है क्या, इस पर पटेल ने बताया था कि वह धरम जयगढ़ नहीं जा रहा है, उसकी समयलाल साहू से बात हो गई है, उसको भी बोल दिया है। श्री अग्रवाल ने पटेल को क्या काम पूरा करने के लिये कहा था और पटेल ने साहू को किस काम के लिये कहा था इसकी मुझे जानकारी नहीं है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 27.03.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण
ब्यूरो, रायपुर, छत्तीसगढ